

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/वि02 - 10157/2016 - 741 पटना - 15, दिनांक :- 23/03/17

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - राज्य योजना के तहत विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में 12300 गृह जल संयोजन हेतु 246.00 लाख रुपये ((दो करोड छिआलीस लाख रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति। (पूर्णियाँ प्रक्षेत्र)

आदेश - राज्य योजना के तहत विभाग द्वारा निर्मित ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में 12300 गृह जल संयोजन हेतु 246.00 लाख रुपये ((दो करोड छिआलीस लाख रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

1. विकसित बिहार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सात निश्चय के अन्तर्गत "हर घर नल जल" की सुविधा हेतु गृह-जल संयोजन किया जाना है। विद्यमान ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से "हर घर नल जल" की सुविधा हेतु 12300 गृह जल संयोजन हेतु 246.00 लाख रुपये ((दो करोड छिआलीस लाख रुपये) की योजना तैयार की गई है। जिसकी जिलावार विवरणी परिशिष्ट - I एवं याजना की कुल लागत राशि का सार परिशिष्ट - II पर संलग्न है। इस योजना का कार्यान्वयन एक वर्ष में पूरा किया जाना है।

2. बजट शीर्ष

इस योजना पर होने वाला व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - P4215011020101 - राज्य योजना स्कीम कोड - PUB-5350 - विषय शीर्ष - 53 01 मुख्य निर्माण कार्य, मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - P4215017890102 - राज्य योजना स्कीम कोड - PUB-5350 - विषय शीर्ष - 27 01 लघु कार्य एवं मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना - विपत्र कोड - P4215017960115 - राज्य योजना स्कीम कोड - PUB-5350 - विषय शीर्ष - 53 01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

3/4/17

३

4. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।


5. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

6. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या – एम4-53/2007/96 वि0(2) दिनांक – 03-01-08 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।

7. वर्ष 2016-17 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

8. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोपरि।


(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 6/वि02 – 10157/2016 – 741 पटना – 15 दिनांक :- 23/03/17

प्रतिलिपि – अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग / मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग / कल्याण विभाग बिहार, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुलग्नक सहित अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मूल्यांकण) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ / सहरसा / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पूर्णियाँ / किशनगंज / अररिया / कटिहार / सहरसा / सुपौल / मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथोपरि।

अम




(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव